न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 67/2019 रा.रा.अ.

मूलचन्द पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
... प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई दौसा कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा जिला दौसा।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए उप जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा
... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 22.05.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा एन.एच.11 ए के अंतर्गत ग्राम नयावास के खसरा नंबर 220/2 में स्थित संरचना के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि दौसा कोथून रा0रा0 मार्ग सं0 11 ए के विस्तार एवं चौडाईकरण हेतु उपजिला कलक्टर पदेन भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी न0 02 द्वारा ग्राम नयाबास तहसील रामगढ पचवारा स्थित कृषि भूमियों का अवाप्ति की गइ है। उक्त रा0 रा0 मार्ग के चौडाईकरण के लिए ग्राम नयाबास स्थिति आराजी खसरा न0 220/2 रकबा 8 बिस्वा एवं उक्त भूमि में स्थित संरचनाओ निर्माणो की अवाप्ति की गई है तदनुसार आराजी खसरा न0 220/2 ग्राम नया बास स्थित प्रार्थी की पांच दुकाननात जिनका कुल क्षेत्रफल 40X60 फिट है की अवाप्ति की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तैयार किये [illegible] (भूमि व संरचना) मे प्रार्थी का नाम गलत अंकित कर दिया गया भूमि अवाप्ति अधिकारी [illegible] मूलचन्द पुत्र श्रवण लाल गुप्ता अंकित कर अवार्ड प्रचलित कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा की गई आपत्ति पर पी0डी0 एन.एच.ए. आई. क्रमांक [illegible]एल.के. भू.अ. लालसोट [illegible]क 2177 दिनाक 21.12.2018 एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि की जाकर मूलचन्द पुत्र रामपाल जाति मीणा हिस्सा 648/1511 अंकित किया गया जो अवाप्त किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

अवाप्त शुद्धा भूभाग पर प्रार्थी के पांच पुख्ता दुकानात कुल नाम 40X60 बनी हुई थी जिसके प्रतिकर का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उचित नहीं किया गया । प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.05.2018 को मुआवजा निर्धारण नहीं करने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट से निवेदन किया की प्रार्थी की दुकानात के पास वाली एक दुकान श्रीमती काली देवी का मुआवजा 5.00 लाख रूपये निर्धारित किया है एवं इसी खसरा नंबर में प्रार्थी के दुकानात के पास स्थित रामेश्वर पुत्र श्री श्रवण लाल गुप्ता की दो दुकानात का मुआवजा 5.00 लाख निर्धारित किया गया है जबकि प्रार्थी की पांच दुकानात जो 40X60 फीट क्षेत्रफल मे स्थित हैं का मुआवजा 988312 रूपये निर्धारित कर अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की और न ही आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसरा नंबर 220/2 वाके ग्राम नवाबास में प्रार्थी के अवाप्त शुद्धा भाग 648/1552 से क्षेत्रफल में से 40X60 फीट भू–भाग पर बनी हुई पांच दुकानात का उचित प्रतिकर का निर्धारित नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थी की आर्थिक क्षति कारित की हुई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी की कार्यवाही उचित प्रतिकर निर्धारण अधिकारी के प्रावधानो अनुसार सही नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी ने नियमानुसार निस्तारण नहीं किया है। प्रार्थी की दुकानात को ध्वस्त कर दिया गया है एवं ग्राम नयाबास में प्रार्थी की दुकानात के सामने सड़क निर्माणकर्ता कम्पनी पी.एन.सी. पूर्व दिशा की ओर पहले से अवाप्त भू–भाग की सीमा को बढाकर निर्माण कार्य करना चाहती है तथा पश्चिम की ओर अवाप्त शुद्धा भू–भाग को छोड़कर निर्माण करना चाहती है। जबकि सड़क के मध्य से दोनो ओर समान नाप की भूमि अवाप्त कर सड़क निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकर फरमाया जाकर प्रार्थी की अवाप्त शुदा पांच दुकानात के मुआवजे की राशि पास में अवाप्त अन्य दुकानात यू.एच.एस. 84985 के प्रतिकर निर्धारण के अनुसार प्रार्थी की दुकानात का भी प्रतिकर भुगतान करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट को आदेशित किया जावे तथा अप्रार्थी सं0 01 को आदेश फरमाया जावे की सड़क निर्माणकर्ता कम्पनी पी.एन.सी. को आदेश फरमावे की वे ग्राम नयाबास मे सड़क निर्माण कार्य पूर्व के करवाये गये सीमांकन अनुसार सड़क मध्य से पूर्व एवं पश्चिम में समान दूरी की भूमि पर कराया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की बहस में दलील है कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] 180 कि.मी. से 63.000 कि.मी. (दौसा–लालसोट कौथून सैक्शन) तक के [illegible] निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, [illegible] हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लालसोट को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा ३ (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29.07.2015 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति में दिनांक 05.09.2015 को एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 07.09.2015 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति्त धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियों सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता।धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 3 ए की अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं की गई ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश प्रार्थी पर बाध्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सटेंशन के दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 26.05.2016 को जारी किया गया। उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 220/2 की 0.1265 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 वाके ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा के खसरा नम्बर 220/2 की 0.1265 हैक्टेयर बारानी 2 के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 3 ए की अधिसूचना के प्रकाशन में भूमि की किस्म व प्रकृति का उल्लेख किया गया गया जिसके अनुसार भूमि की किस्म बारानी 2 दर्ज थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 220/2 की 0.1265 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना 26.05.2016 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल[illegible] [illegible]त्यंतिक रूप से केन्द्र सरकार में निहीत हो जावेगी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 डी अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 220/2 की 0.1265 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 भूमि का स्वामित्व मूलचन्द पुत्र रामपाल हिस्सा 648/1512 दर्ज रिकॉर्ड होने से भूमि की किस्म अनुसार अवार्ड पारित किया गया। उक्त भूमि पर निर्मित संरचना एवम् निर्माण के सम्बन्ध में मौका स्थिति एवम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

स्वतंत्र वैल्युअर मैसर्स जैमन एसोसियेट जयपुर द्वारा तैयार की गई वैल्युवेशन रिपोर्ट नम्बर LHS–83 में निर्मित संरचना के संबंध में है के अनुसार प्रार्थी का संरचना का अवार्ड पारित किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि पर हुए निर्माण व संरचना की मुआवजा राशि मुल्यांकन LHS–83 अनुसार 4,94,156/– रूपये उक्त राशि पर भूमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार निर्मित सरंचना पर 100 प्रतिशत तोषण राशि 4,94,156/– रूपये कुल योग 9,88,312/– का अवार्ड विधि के प्रावधानों के अनुसार मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा दिया गया है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है। प्रार्थी अब गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कपा करे ।

6. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा में से भूमि अवाप्त की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार के दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु ग्राम नयावास में स्थित खसरा नंबर 220/2 में से रकबा 0.1265है. भूमि अवाप्त की गई है जिसका भुगतान प्रार्थीगण को जमाबंदी अनुसार खातेदारों को किया जा चुका है। उक्त भूमि में स्थित संरचना संख्या एल.एच.एस. 83 जो कि जारी अवार्ड के अनुसार मूलचंद मीना पुत्र श्रवण लाल गुप्ता के के नाम से है, जिसकी राशि 9,88,312/–रु. है। इस संबंध में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इकाई दौसा के पत्रांकः2177 दिनांक 21.12.2018 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा की रिपोर्ट के अनुसार नाम शुद्धिकरण कर प्रार्थी को उक्त संरचना का भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना सं0 83 वाके ग्राम नयावास में संरचना की माप इस प्रकार है जो राजमार्ग हेतु अवाप्ति सीमा में आ रही हैः–दुकान 12.10X5.30 मीटर, प्रोजेक्शन 12.10 X0.60 मीटर, टीनशैड 12.10 X 2.60 मीटर का सर्वे एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसका राज्य सरकार की दरों पर निर्माण का सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार की गई है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी खसरा नंबर 220/2 वाके ग्राम नयावास में से अवाप्तशुदा भूमि 0.1265है. में प्रार्थी के हिस्से की राशि का भुगतान व संरचना सं0 83 का भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका है तथा अवाप्तशुदा रकबा 0.1265है. पर ही राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

7.हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

8. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार के दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु प्रार्थी की ग्राम नयावास में स्थित खसरा नंबर 220/2 में से रकबा 0.1265है. भूमि अवाप्त की गई है जिसका भुगतान प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में अंकन के अनुसार किया जा चुका है। अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचना संख्या एल.एच.एस. 83 जो कि जारी अवार्ड के अनुसार मूलचंद मीना पुत्र श्रवण लाल गुप्ता के नाम से है, जिसकी राशि 9,88,312/–रु. है का भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना सं0 83 वाके ग्राम नयावास में संरचना की माप अवाप्ति सीमा में आ रही दुकान 12.10X5.30 मीटर, प्रोजेक्शन 12.10 X0.60 मीटर, टीनशैड 12.10 X 2.60 मीटर का सर्वे एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन किया जाकर राज्य सरकार की दरों पर निर्माण का सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया भुगतान किया जा चुका है। भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार की गई है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी खसरा नंबर 220/2 वाके ग्राम नयावास में से अवाप्तशुदा भूमि 0.1265है. में प्रार्थी के हिस्से की राशि का भुगतान व संरचना सं0 83 का भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका है। प्रार्थी की संरचना 15 वर्ष पुरानी होने से नियमानुसार ह्रास(Depreciation) दिये जाने के उपरांत मुआवजा पारित किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी के पास वाली एक दुकान का मुआवजा काली देवी को 5.00 लाख रू. एवं रामेश्वर पुत्र श्रवणलाल गुप्ता की दो दुकानों का मुआवजा 05.00 लाख प्रस्तावित किया गया है परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता यह साबित नहीं कर सके कि काली देवी एवं रामेश्वर गुप्ता की अवाप्त की गई भूमि की नाप क्या थी एवं उसकी संरचना का कितना मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन कि आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट द्वारा पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा